



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 1875/2026

इसरार अली

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – प्रवीण सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया।
2. अभियोजन वाद में यह अभिकथित है कि शिकायतकर्ता की लगभग 16 वर्ष की बेटी का तीन दिन पूर्व दिनांक 29.02.2025 को अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा उसके घर से अपहरण कर लिया गया है। जब वह उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद जा रहा था, तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अपने बयान में, घटना की पीड़िता ने कहा है कि वह 16 वर्ष 9 माह की है। वह अपनी इच्छा से अभियुक्त-प्रार्थी के साथ गई थी और प्रार्थी ने उसके प्रति कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुनः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अपने बयान में, पीड़िता ने अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया है और धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बयान को दोहराया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता का प्रार्थी के साथ प्रेम प्रसंग था और उसने स्वयं प्रार्थी के साथ अपना घर छोड़ा है।

पीड़िता ने चिकित्सकीय परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार, पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 14.03.2009 है। प्रार्थी का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 31.12.2025 से जेल में है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद प्रार्थी के फरार होने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में प्रस्तुत किये गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, यह तथ्य कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, धारा 180 और 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पीड़िता के बयान, प्रथम दृष्टया पीड़िता का अपनी स्वतंत्र इच्छा और मर्जी से अभियुक्त-प्रार्थी के साथ भागना प्रतीत होना, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्कों, प्रार्थी की जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

6. थाना- गोला, जिला- लखीमपुर खीरी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 694/2025, अंतर्गत धारा 87, 137(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता में संलिप्त प्रार्थी इसरार अली को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्यायहित में आरोपित की जा रही हैं:-

(i) प्रार्थी विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों और वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

ऐसी कोई अन्य शर्त (शर्तें) जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, आरोपित की जा सकती हैं।

7. तदनुसार, प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

30 मार्च, 2026

केकेबी